Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

➢ अजमेर में हेमराज खटीक, ई–मित्र संचालक, तहसीलदार गणेश कच्छावा एवं अन्य के लिए 60,000/– रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार।

जयपुर, दिनांक 12 मार्च 2026, गुरूवार। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. इन्टे., अजमेर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये आरोपी हेमराज खटीक, ई–मित्र संचालक द्वारा परिवादी की फर्म द्वारा लीज पर ली गई भूमि की लीज डीड पंजीयन करने के एवज में दौराने रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 09,10.03.2026 को परिवादी से तहसीलदार अण्टाली गणेश कच्छावा द्वारा ई–मित्र संचालक हेमराज खटीक के मार्फत रिश्वत राशि लेना तय किया तथा मांग के अनुसरण में आज तहसीलदार श्री गणेश कच्छावा एवं अन्य के कहे अनुसार आरोपी हेमराज खटीक द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि 60,000/– रूपये प्राप्त कर अपनी टेबल की दराज में रखी, जहां से रिश्वत राशि बरामद हुई।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **महानिदेशक पुलिस श्री गोविन्द गुप्ता** ने बताया कि ए.सी.बी., इन्टे, अजमेर को एक शिकायत इस आशय की मिली कि परिवादी अपनी फर्म की ग्रांम जवानपुरा तहसील अंटाली जिला भीलवाड़ा में लीज पर ली गई जमीन की लीज डीड रजिस्ट्रेशन हेतु ई–मित्र संचालक हेमराज खटीक से मिला तो उसने कहा कि इसके लिए तहसीलदार गणेश कच्छावा जी से मीटिंग करनी होगी। इसके बाद मैं पुनः ई–मित्र संचालक से मिला तो उसने कहा कि आपकी मीटिंग करवा देता हूँ साहब ने एक ए.सी. व प्रति बीघा 10,000/– रूपये के लिए बोला है। उनसे मिलकर आवेदन कर दो आपका काम जल्दी हो जाएगा।

जिस पर एसीबी अजमेर के **पुलिस अधीक्षक श्री महावीर सिंह राणावत** के सुपरवीजन में **पुलिस निरीक्षक श्रीमती कंचन भाटी**, ए.सी.बी. इन्टे०, अजमेर द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी हेमराज खटीक को रिश्वत राशि 60,000/– रूपये लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव** के सुपरवीजन में आरोपीगण से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।